एस.एस. संधावालिया, सी.जे. और एस.एस. सोढ़ी, जे. के समक्ष

अमीन चंद,-याचिकाकर्ता।

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी।

1982 की सिविल रिट याचिका संख्या 1779।

8 दिसम्बर 1982

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति पर सरकारी निर्देश - खंड V - सरकारी कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए नोटिस भेजता है और फिर उसे वापस लेने की मांग करता है - सरकारी निर्देश केवल उचित प्राधिकारी की मंजूरी के साथ नोटिस वापस लेने की अनुमति देते हैं - ऐसे कर्मचारी -क्या वह अभी भी नोटिस की समाप्ति से पहले उसे वापस लेने का हकदार है।

अभिनिर्णीत, कि एक सरकारी कर्मचारी को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने या उसके बाद ऐसा अनुरोध वापस लेने का अधिकार अमीन चंद बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (एस.एस. सोढ़ी, जे.) का है। उसकी सेवा की शर्तों से संबंधित मामले जो प्रासंगिक नियमों द्वारा शासित होते हैं। यदि प्रासंगिक नियम है, जैसा कि सरकारी निर्देशों के खंड V में निर्धारित है, तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को वापस लेने का स्पष्ट रूप से अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें निर्धारित दो शर्तों के अधीन किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, सरकारी निर्देशों के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगने के अधिकार का प्रयोग करने वाला सरकारी कर्मचारी भी अन्य शर्तों से बंधा हुआ था। इस प्रकार, वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अपना अनुरोध वापस लेने के निर्बाध अधिकार का दावा नहीं कर सकता था। खंड V के संदर्भ में, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अनुरोध वापस लेना उचित प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन है। (पैरा 7).

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका जिसमें प्रार्थना की गई है कि यह माननीय न्यायालय उत्तरदाताओं को निर्देश देने के लिए सर्टिओरीरी, परमादेश, या कोई अन्य उपयुक्त रिट, निर्देश या आदेश जारी करने की कृपा करें: -

(i) मामले का पूरा रिकॉर्ड पेश करना;

(ii) अनुलग्नक पी.5 और पी.6 पर दिए गए आदेश को रद्द करना;

(iii) यह घोषित किया जाए कि याचिकाकर्ता अभी भी सरकारी सेवा में बना हुआ है;

(iv) याचिकाकर्ता को वरिष्ठता, वेतन का बकाया, वार्षिक वेतन वृद्धि आदि जैसी सभी परिणामी राहतें भी दी जा सकती हैं;

(v) कोई अन्य राहत भी दी जा सकती है, जिसे माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझे; और

(vi) याचिका की लागत भी याचिकाकर्ता को दी जा सकती है।

याचिकाकर्ताओं के वकील, मनमोहन सिंह।

बी.एस. गुप्ता, वकील, ए.जी. हरियाणा के लिए।

निर्णय

एस.एस. सोढ़ी, जे.

(1) इस रिट याचिका में चुनौती याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की मांग को वापस लेने के बावजूद सेवा से सेवानिवृत्ति को लेकर है।

(2) याचिकाकर्ता, जो हरियाणा सरकार के सिंचाई विभाग में मुख्य राजस्व क्लर्क के रूप में कार्यरत था, ने अपने पत्र संख्या एल/2(27)-79-आईपीआरआई दिनांक 1 अगस्त1980 में निहित प्रासंगिक सरकारी निर्देशों के तहत सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की थी। (अनुलग्नक पी-1)। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का अनुरोध उनके 3 मार्च, 1981 के पत्र (अनुलग्नक पी-2) द्वारा किया गया था जिसे 8 सितंबर, 1981 को दोहराया गया था।

जब उन्होंने सेवानिवृत्ति की मांग करते हुए एक और पत्र (अनुलग्नक पी-3) लिखा, इस बार 31 दिसंबर, 1981 को उस तारीख के रूप में निर्दिष्ट किया, जब से उन्होंने ऐसी सेवानिवृत्ति मांगी थी।

(3) हालांकि, बाद में, याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति के अनुरोध पर कोई आदेश पारित होने से पहले, उन्होंने अपना मन बदल लिया और 3 दिसंबर, 1981 को संबंधित कार्यकारी अभियंता को लिखा कि उन्होंने सेवा से सेवानिवृत्ति के लिए अपना अनुरोध वापस ले लिया है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध को वापस लेने को सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था और याचिकाकर्ता को 28 दिसंबर, 1981 के पत्र (अनुलग्नक आर-एल) द्वारा सूचित किया गया था। जिसमें यह भी कहा गया था कि उन्हें 31 दिसंबर, 1981 से उनके पद से मुक्त कर दिया जाएगा और परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता उस तारीख से सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(4) याचिकाकर्ता के वकील श्री मनमोहन सिंह के अनुसार, कानून में स्थिति अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी सेवा में रहते हुए स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग करने वाले नोटिस को वापस लेने की मांग करता है तो सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन उसे अपेक्षित अनुमति प्रदान करने के लिए। समर्थन में उन्होंने जय राम बनाम भारत संघ [1]में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। एक सरकारी कर्मचारी के मामले से निपटने में, जिसने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगी थी और बाद में सेवानिवृत्ति से पहले छुट्टी पर रहते हुए ड्यूटी पर फिर से शामिल होने के लिए कहा था, यह अभिनिर्णीत किया गया कि उसे ऐसा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह देखा गया कि "यह एक नौकर के लिए खुला है, जिसने सेवा से सेवानिवृत्त होने की इच्छा व्यक्त की है और अपने वरिष्ठ अधिकारी को अपेक्षित अनुमति देने के लिए आवेदन किया है, बाद में अपना मन बदल सकता है और इस प्रकार प्राप्त अनुमति को रद्द करने के लिए कह सकता है; लेकिन जब तक वह सेवा में बना रहेगा तब तक उसे ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है, सेवा समाप्त होने के बाद नहीं।"

(5) मुख्य निर्भरता आनंद प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य और अन्य[2] में टंडन जे

[1] ए.आई.आर. 1954 एस.सी. 584.

[2] सी.आर.पी. 1981 का 3929, 12 मई 1982 को निर्णय लिया गया

के हालिया फैसले पर रखी गई थी। हरियाणा के वास्तुकला विभाग में एक वास्तुकार, आनंद प्रकाश ने सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की मांग की 28 फरवरी, 1981 से प्रभावी। इस अनुरोध को 19 फरवरी, 1981 को पारित एक आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया। 24 फरवरी, 1981 को, हालांकि, याचिकाकर्ता ने परिस्थितियों में बदलाव की मांग की। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अपने अनुरोध को वापस लेने की मांग की। उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं थी. जय राम के मामले (सुप्रा) के बाद यह माना गया याचिकाकर्ता को अपनी सेवानिवृत्ति की तारीख जानने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अपना अनुरोध वापस लेने का अधिकार था। इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अपना अनुरोध वापस लेने की अनुमति देने से इनकार करने का सरकार का आदेश रद्द कर दिया गया।

(6) प्रचारित बिंदु और उसके समर्थन में उद्धृत अधिकारियों का स्पष्ट रूप से वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता के लिए कोई फायदा नहीं है। यहां यह मामला अनुबंध पी-1, खंड (v) में दिए गए प्रासंगिक सरकारी निर्देशों के अंतर्गत आता है, जो इस प्रकार है: -

"स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का नोटिस उचित प्राधिकारी की मंजूरी के बाद ही वापस लिया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसी वापसी का अनुरोध नोटिस की समाप्ति से पहले किया गया हो।"

इस प्रावधान की शर्तों के अनुसार, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को वापस लेना उचित प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन है। यह मामले का वह पहलू है जो इसे याचिकाकर्ता के वकील द्वारा उद्धृत और भरोसा किए गए अधिकारियों से अलग करता है। माना जाता है कि उन मामलों में ऐसा कोई नियम या प्रावधान इस मामले को नियंत्रित नहीं करता था। इस प्रकार याचिकाकर्ता के लिए यह तर्क देना संभव नहीं है कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अपना अनुरोध वापस लेना उसके लिए अधिकार के रूप में उपलब्ध था।

(7) एक सरकारी कर्मचारी का स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने या उसके बाद ऐसा अनुरोध वापस लेने का अधिकार उसकी सेवा की शर्तों से संबंधित मामले हैं जो प्रासंगिक नियमों द्वारा शासित होते हैं। यदि प्रासंगिक नियम है, जैसा कि अनुबंध पी-1 के खंड

(v) में निर्धारित है, तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के अनुरोध को वापस लेने का दावा स्पष्ट रूप से अधिकार के रूप में नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसमें निर्धारित दो शर्तों के अधीन किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, याचिकाकर्ता ने अनुबंध पी-1 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति मांगने के अधिकार का प्रयोग किया है और वह अन्य शर्तों से भी बंधा हुआ है। इस प्रकार वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अपना अनुरोध वापस लेने के निर्बाध अधिकार का दावा नहीं कर सकता था

(8) आक्षेपित आदेश को इस आधार पर चुनौती देने की मांग की गई कि आदेश (अनुलग्नक आर-एल) जिसके तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए उसकी प्रार्थना को वापस लेने का अनुरोध अस्वीकार कर दिया गया था, वह एक मौखिक आदेश था क्योंकि इसे अस्वीकार करने के लिए कोई कारण नहीं बताया गया था। इस आधार पर भी चुनौती दी गई कि यह आदेश याचिकाकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना पारित किया गया था। इनमें से किसी भी विवाद में कोई दम नहीं है. इस याचिका में अनुबंध पी-1 में निहित निर्देश के खंड (v) की वैधता को कोई चुनौती नहीं दी गई है। वर्तमान मामले में की गई कार्रवाई स्पष्ट रूप से उसकी शर्तों के अनुरूप थी। याचिकाकर्ता को जो परिणाम भुगतने पड़े, वे उसकी अपनी मर्जी के हैं। वहां के निर्देशों का लाभ उठाने की इच्छा रखते हुए, उन्होंने खुद को इसकी शर्तों से बंधे होने के लिए उत्तरदायी बना दिया। ऐसी स्थिति में किसी भी सुनवाई की इजाजत देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, यह ध्यान देने योग्य है कि किसी भी दुर्भावनापूर्ण या असंगत विचार का आरोप नहीं लगाया गया है या कहा गया है कि उसने आक्षेपित आदेश के पारित होने में कोई भूमिका निभाई है। केवल इस आधार पर कि याचिकाकर्ता के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए कोई कारण निर्धारित नहीं किया गया है, आक्षेपित आदेश में किसी भी प्रकार की कमजोरी का अनुमान लगाने का कोई वारंट नहीं है। इस तरह के आदेश में कारण निर्धारित करना स्पष्ट रूप से यहां की परिस्थितियों के कारण नहीं था।

(9) परिणाम में यह अभिनिर्णीत किया जाना चाहिए कि याचिकाकर्ता को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए अपना अनुरोध वापस लेने की अनुमति देने से इनकार करने वाले आक्षेपित आदेश में कोई अमान्यता या अवैधता नहीं है। फलस्वरूप यह रिट याचिका खारिज की जाती है। हालाँकि, परिस्थितियों में, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णयर्ण वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा मेंइसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णयर्ण का अँग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुकत रहेगा ।

Checked By:
Deepak yadav
Trainee Judicial Officer
Chandigarh Judicial Academy
Chandigarh